कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
रायपुर मण्डल, पूर्वायतन, गोविंद सारंग व्यावसायिक परिसर,
(प्रथम तल), न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर - 492006, छत्तीसगढ़।
टेलीफ़ोन एवं फ़ैक्स नं - 0771-4218483 एवं 4218484
ई-मेल : circlerai.asi@gmail.com & circleraipur.asi@gov.in
वैबसाइट: www.asiraipurcircle.in

भारत सरकार
Government of India

Office of the Superintending Archaeologist
Archaeological Survey of India, Raipur Circle, Poorvayatan
Govind Sarang Commercial Complex, (1st Floor),
New Rajendra Nagar, Raipur-492006, Chhattisgarh
Telephone & Fax No.0771-4218483 & 4218484
E-Mail : circlerai.asi@gmail.com & circleraipur.asi@gov.in
Website: www.asiraipurcircle.in

फा.संख्या 13-1/15(07/स्मारक-विविधा)/1681377/19-20/टीएस/
F.No.13-1/15(07/Mons-Misc)/1681377/19-20/TS/ 1337 to 1339

दिनांक/Dated 25 मार्च/March 2021

To,

The Director General,
Archaeological Survey of India, Dharohar Bhawan,
24 Tilak Marg, New Delhi-110011.
Kind Attention: Director (Monuments), ASI Directorate

Subject: **Closure of centrally protected and ticketed monuments Laxman Temple Sirpur and CPM Rajiv Lochan Temple, Rajim due to spread of Corona virus - reg**

Sir,

As per order issued by Collector Dist. Mahasamund dated 24/03/2021, entry of visitors/tourists will be prohibited at all tourist places due to spread of coronavirus, hence the monuments in Mahasamund district will remain closed including the ticket counter at Laxman Temple Sirpur, and entry of visitors/tourists will be prohibited till further orders. (Please refer to Sl. No. 02 of the order dated 24.03.2021 as copy of order enclosed.)

This is for your kind information and necessary action.

Yours faithfully,

25/3/21
(Dr. Karabi Saha)
Superintending Archaeologist (In-charge)

Encl: As above

Copy to:

1. The Regional Director, Central Region, ASI, Bhopal, for kind information please.
2. Website Section, for kind information please.

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द, (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, E-mail:-msamund.cg@nic.in

183

// आदेश //

क्रमांक / 272 / क / एस.डब्ल्यू. / 2021 महासमुंद, दिनांक 24 / 03 / 2021

राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) नियत्रंण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय–समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व मे अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरुप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1. होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कडाई से पालन करते हुये अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें।
2. जिला महासमुन्द अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
3. सार्वजनिक स्थलो में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
4. समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
5. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत / एकल रूप से धार्मिक स्थल / संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जावेगा।
6. विवाह / अंत्येष्टि / दशगात्र अथवा उससें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कडाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय–समय पर हाथ धोना / सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।

24/3/2021

7. समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें।
8. दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगें।
9. डी.जे., नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
10. अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सडक मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा।
11. सार्वजनिक स्थलों एवं सिनेमा हॉल में आने–जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
12. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, साँस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड–19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
13. यदि किसी क्षेत्र में कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलो में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
15. महासमुन्द जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध (क्वारंटाईन) और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नही करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

आज दिनांक 24/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

24/3/2021

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
महासमुन्द